मैसर्स अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड

बनाम

महबूब शरीफ और अन्य

2015 की दीवानी अपील सं. 14015

02 दिसम्बर,2015

जगदीश सिंह खेहर और आर. भानुमति , जे.जे. न्यायिक न्यायाधीश

निषेधाज्ञा - बैंक प्रत्याभूति की -अपीलकर्ता आपूर्तिकर्ता और उत्तरदाता थोक विक्रेता व्यापारी के मध्य संविदात्मक समझौते का विस्तार- उत्तरदाता ने अपीलकर्ता के पक्ष में बिना शर्त बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत की - अपीलकर्ता ने उत्तरदाता से बकाया की मांग की -मांग के सम्मान की विफलता पर अपीलकर्ता ने प्रत्याभूति की सहायता ली । प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और बैंक के विरूद्ध प्रत्याभूति राशि के भुगतान हेतू स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की -विचारण न्यायालय (निचली अदालत)ने अस्थायी आदेश द्वारा बैंक को अपीलकर्ता को भुगतान करने से रोक दिया - उच्च न्यायालय तक अस्थायी आदेश स्वीकार किया गया - अपील में अभिनिर्धारित किया गया - जब वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान बिना शर्त बैंक प्रत्याभूति दी गई है तो लाभार्थी किसी भी लम्बित विवाद के बावजूद ऐसी प्रत्याभूति प्राप्त करने का हकदार है बिना शर्त बैंक प्रत्याभूति पर

निषेधाज्ञा केवल तभी दी जा सकती है जब न्यायालय संतुष्ट हो और स्वीकार करे की अनुबन्धों के पक्षों के साथ घोर धोखाधडी हुई हो या जब न्यायालय संतुष्ट हो कि संबधित पक्ष को अपूर्णनीय क्षति या अपूर्णीय अन्याय हुआ हो वर्तमान के प्रकरण के तथ्य में नीचे के न्यायालय को तीन बैंक प्रत्याभूतियों के आह्वान पर निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं था - इसलिए बैंक को बैंक प्रत्याभूतियों ,बैंक प्रत्याभूति के सम्मान का निर्देश दिया गया ।

यू.पी. कापरेटिव फेडरेशन लिमिटेड विरूद्ध सिहं कन्सलटेन्ट एण्ड इन्जिनियरिंग प्रा.लिमिटेड **(1988)**एस सी सी

174/1988(1)एस.सी.आर.**1124,**

विमिटेक इलेक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड **(2008)**एस सी सी

544/2007 (11)एससीआर **897** पर आधारित

संदर्भित कानूनी प्रकरण

1988 (1) एस.सी.आर. **1124** पर विश्वास किया गया पैरा **6**

2007 (11) एस.सी.आर. **897** पर विश्वास किया गया पैरा **8**

दीवानी अपीलीय क्षैत्राधिकार: दीवानी अपील सं. **14015/2015**

(2012)की बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की रिट याचिका सं.4654 का निर्णय और आदेश दिनांक 16.12.2013 से

अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष प्रसाद,श्रीमति मुक्ता दत्ता, आदित्यागर्ग, प्रवीणकुमार अधिवक्ता

अपीलकर्ता की ओर से प्रणीत रंजन, ई.सी.विद्यासागर, श्रीमति जेनिफर जोन, सुबेश चन्द्रासागर, बी.के.गौतम अधिवक्ता

उत्तरदाता की ओर से

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया

जगदीश सिहं खेहर न्यायाधीश

1 अपील सुनने पर सहमति दी गई

2 अपीलकर्ता मैसर्स अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड (इसके पश्चात डध् एए एफ एल से संबधित) फल और सब्जियों का आपूर्तिकर्ता है इसने फलों के थोक विक्रेता मैसर्स आर एम एस फ्रूटस एण्ड कम्पनी (इसके पश्चात आर एम एस एफ सी के रूप में संदर्भित) के साथ एक संविदात्मक अनुबन्ध किया जिसका एक स्वामी महबूब शरीफ (यहा उत्तरदाता 1) है अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाता सं.1 मैसर्स आर एम एस एफ सी को आपूर्ति किए गए उत्पाद के बदले में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए

मैसर्स अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड विरूद्ध महबूब शरीफ

(जगदीश सिंह खेहर, न्यायाधीश)

जिससे अपीलकर्ता मैसर्स आर एम एस एफ सी को उसके द्वारा पहुचाए गए उत्पादों की आय वसूल करने का अधिकारी होगा। ऐसी तीन पंजीकृत बैंक प्रत्याभूतिया मौजूदा विवाद का आधार है उक्त बैंक प्रत्याभूतिया स्टेट बैंक आफ मैसूर द्वारा 24.12.2010, 09.02.2011, और 10.02.2011 को निष्पादित की गई बैंक प्रत्याभूतियों की शर्त समान होने के कारण किसी एक का संदर्भ सभी इरादों और उदेश्यों के लिए पर्याप्त होगा। पहली बैंक प्रत्याभूति के प्रांसगिक खण्ड का निष्कर्ष यहा निकाला जा रहा है -

अब प्रत्याभूतिकर्ता एतत् द्वारा अपरिवर्तनीय और बिना शर्त के प्रत्याभूति दे रहा है इस प्रकार समझौते की वैधता और कानूनी प्रभावों के बावजूद यदि कोई पक्षकारों के मध्य दर्ज किया गया है और उससे उत्पन्न होने वाली आपत्ति और बचाव के सभी अधिकारों की छूट देती है कि प्रत्याभूतिकर्ता किसी भी राशि का भुगतान अद्योलिखत प्रत्याभूति की अधिकतम राशि तक करेगा । एएएफएल द्वारा एएएफएल से पहली मांग पर उस स्थिति में जब पूरा विक्रेता माल प्रेषित आदेश और बिक्री बीजक (चालान) में निहित किसी भी समझौता या नियम और शर्तो के तहत् अपनी समझ से निष्पादित करने में विफल रहता है या उसके द्वारा समय

पर एएएफएल उसकी प्रतिपूर्ति करने में थोक विक्रेता की विफलता का कोई भी कारण हो ।

1 इस प्रत्याभूति विलेख के निष्पादन की तिथि के पश्चात किसी भी खेप और या बिक्री आदेश के लिए एएएफएल के परिवहन अभिकर्ता द्वारा बीजक के पते पर विक्रेता को पूरा पहुचने पर प्रत्याभूति प्रभावी होगी।

2 प्रत्याभूतिकर्ता एएएफएल के अनुरोध पर मैसर्स अडानी एग्री फ्रेश लिमिटेड के पक्ष में गुडगांव, हरियाणा (भारत) में तुरन्त भुगतान करेगा बिना किसी आपत्ति के और बिना किसी पुनरावृत्ति के केवल मांग पर यह मानते हुए की मांग की गई राशि देय है और थोक विक्रेता द्वारा एएएफएल को देय हो।

3 उपर उल्लेखित उत्पाद की आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी भी समय पूर्ण विक्रेता के मध्य मौजूदा किसी भी विवाद या मतभेद के बावजूद और यद्यपि किसी भी पक्ष द्वारा शुरू की गई किसी भी मुकदमें या अन्य कार्यवाही के बावजूद 1500000 रूपये की राशि या इससे कम राशि या रकम जो लिखित रूप में मांगी जा सकती है यदि उक्त थोक विक्रेता आपके रिकार्ड के अनुसार आपको देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है ।

हम इस बात पर अटल रूप से सहमत है कि एएएफएल द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र कि उक्त राशि या उसका कोई भी हिस्सा यदि आपको देय

है तो वह हमारे द्वारा एक निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा और ऐसी राशि आपको तुरन्त देय हो जाएगी और हम पर बाध्यकारी होगी और तुरन्त ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा आपके वरिष्ठ प्रबन्धक या उससे उपर के स्तर के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षति होने पर ऐसी मांग का भुगतान हमारे द्वारा आपको किया जाएगा।

4 आपके संविधान या थोकविक्रेता के संविधान में इसके बाद होने वाले किसी भी बदलाव से प्रत्याभूति खराब या समाप्त नहीं होगी यह प्रत्याभूति किसी भी अन्य प्रतिभूतियों या उपचारों के अतिरिक्त और बिना किसी पूर्वागृह के होगी, जो एएएफएल के पास अब या उसके बाद हो सकती है और आप ऐसी किसी भी सुरक्षा या किसी भी फंड या सम्पति को हमारे पक्ष में क्रमबद्ध रूप से एकत्र करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

5 हम प्रत्याभूतिकर्ता हमें मांग प्रस्तुत करने से पूर्व थोक विक्रेता से उक्त ऋण की मांग करने वाली एएएफएल की आवश्यकता का अधित्याग कर देते है।

6 एएएफएल को प्रत्याभूति विलेख के तहत थोक विक्रेता द्वारा समय समय पर प्रदर्शन का विस्तार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी और प्रत्याभूतिकर्ता इस संबंध में नोटिस आदि के किसी भी अधिकार को भी छोड देता है।

7 यहा किसी बात के होते हुए भी:

अ. इस बैंक प्रत्याभूति के तहत् हमारी देनदारी 1500000 /रूपये (केवल पन्द्रह लाख रूप्ये)से अधिक नहीं होगी।

ब. यह बैंक प्रत्याभूति 23.12.2011 तक पूरी तरह लागू रहेगी

स. हम इस बैंक प्रत्याभूति के तहत् प्रतिभूतिकृत राशि या उसके किसी हिस्से का भुगतान केवल और केवल तभी करने के लिए उत्तरदायी है जब एएएफएल हमें लिखित दावा करता है जो या तो पंजीकृत जेटर कुरियर, फैक्स कापी के माध्यम से एएएफएल के अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हाथ से वितरित किया हो और जो 23.12.2011 को या उससे पहले मांग की हो।

द. हम आगे वचन देते है और सहमत है कि यह प्रतिभूति इसके जारी रहने के दौरान आपकी लिखित सहमति के बिना रद्द नहीं की जाएगी।

प्रतिभूतिकर्ता के हस्ताक्षर मुहर जो हमारी है

बैंक प्रतिभूति की शर्तो का अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह एक बिना शर्त प्रतिभूति थी और और प्रतिभूतिकर्ता ने अनुबन्ध पक्षों द्वारा अपनाई गई विवादित स्थिति या यहा तक की संविदात्मक समझौते की वैधता और कानूनी प्रभावों के बावजूद किसी भी आपत्ति और बचाव के अधिकारों का स्पष्ट रूप से अधित्यजन कर दिया या बैंक प्रतिभूति के तहत अपीलकर्ता मैसर्स एएएफएल सबसे पहले उत्तरदाता सं. 1 को भेजे गए फलो के बदले में भुगतान की मांग दावा करेगा और यदि उत्तरदाता सं.1 प्रतिफल की

प्रतिपूर्ति करने में विफल रहता है तो अपीलकर्ता को उपरोक्त भुगतान के लिए प्रतिभूतिकर्ता से मांग करने का अधिकार था। वास्तव में पहली बार में मैसर्स आएमएसएफसी से विचार विमर्श का उपयुक्त दावा भी अनावश्यक था उपर दिए गए बैंक प्रतिभूति के पैराग्राफ सं.**5** के मद्देनजर जो स्पष्ट रूप् से प्रदान करता है कि प्रतिभूतिकर्ता स्टेट बैंक आफ मैसूर को मांग प्रस्तुत करने से पहले मैसर्स एएएफएल के लिए मैसर्स आरएमएसएफसी से विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं होगा। बैंक प्रतिभूति के संदर्भ में उपरोक्त मांग मैसर्स एएएफएल के द्वारा एक मांग दावे के आधार पर की जानी थी जिससे माल के प्रेषण और उसके बदले देय राशि का संकेत दिया गया था।

इसके पश्चात प्रतिभूतिकर्ता को बिना किसी आपत्ति के और बिना किसी उपचार के तुरन्त दावा की गई राशि का भुगतान करना था। बकाया राशि के ऐसे प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर किसी भी मुकदमें या कार्यवाही के बावजूद, जो संविदात्मक समझौते के संदर्भ में एक या दूसरे पक्ष द्वारा शुरू किया गया हो बैंक प्रतिभूति तुरन्त लागू हो जाएगी।

3 यह अपीलकर्ता का मामला है कि अपीलकर्ता ने मैसर्स आरएमएसएफसी को फल भेजने के कारण भुगतान की मांग करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी किया था उसमें दर्शाया गया बकाया देनदारी **63,32,328** रूप्ये **(**बासठ लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठाईस मात्र**)** था। उत्तरदाता सं.**1** द्वारा उपरोक्त मांग का सम्मान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप् बैंक

प्रतिभूति को दिनांक 31.05.2011 के उपरोक्त बकाया प्रमाणपत्र के माध्यम से लागू करने की मांग की गई थी जिसका उदहरण निम्नानुसार है:

बकाया प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स आर एम एस फ्रूट एण्ड कम्पनी मैसूर पर पिछले वर्ष के दौरान फलो की आपूर्ति के लिए हमारी पुस्तकों में 62,32,328 (बासठ लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठाइस) रूप्ये का बकाया नामे शेष है।

धन्यवाद

भवदीय

अडानी एग्रीफ्रेश लिमिटेड

एसडी/

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

4 उपरोक्त बैंक प्रतिभूति/प्रतिभूतियों को खत्म करने के लिए उत्तरदाता सं.1 मैसर्स आरएमएसएफसी ने दीवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड)मैसूर के समक्ष 2011 का ओ.एस.क्रमांक 991 दायर किया जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित प्रार्थना भी शामिल थी-

इसलिए वादी विनम्रतापूर्वक इस माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि वह वादी के पक्ष में और उत्तरदाताओं के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निर्णय और डिक्री पारित करने की कृपा करें जब तक उत्तरदाता सं.3 को किसी भी अनुसूचित प्रतिभूति राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाता सं.1 और 2 बैंक को रोका जाए जब तक कि वादी और उत्तरदाता सं.3 का दावा सौहार्दपूर्ण ढंग से या न्यायालय के माध्यम से तय नहीं हो जाता या वैकल्पिक रूप से उत्तरदाता सं.3 को जब तक मामला सौहार्दपूर्ण ढंग से या वादी और उत्तरदाता सं.3 के मध्य अदालत के माध्यम से तय नहीं हो जाता उत्तरदाता सं.1 और 2 से उक्त राशि प्राप्त करने से रोका जाए, प्रतिवादी को न्यायिक खर्च और ऐसी उचित राहत जो माननीय न्यायालय उचित समझे जो न्याय और समता के हित में मामलें की परिस्थितियों में अनुदान देने योग्य है, प्रदान करें।

अनुसूची

प्रतिभूति राशि स्टेट बैंक आफ मैसूर शिवरामपेट शाखा विनोबा रोड, मैसूर में उपलब्ध है। प्रतिभूति सं. 3/10-11 जारी करने की तिथि 24.12.2010 समारित की तिथि 23.12.2011 और विस्तार प्रतिभूति सं.04/2010-2011(मूल प्रतिभूति)सं.04 /2009-2010 और नवीनीकृत अवधि 10.02.2011 से 9.02.2012 तक और दूसरी प्रतिभूति सं.05/2010-

2011 और जारी करने की तिथि 9.02.2011 और समाप्ति की तिथि 8.12.2011

5.विचारण न्यायालय ने 10.08.2011 को उपरोक्त मुकदमें पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया

आदेश

दीवानी प्रकिया संहिता की धारा 151 के तहत आदेश गगग पअ नियम 1 और 2 के तहत आवेदक /वादी द्वारा दायर आईए संख्या 2 को सशर्त रूप से अनुमति दी जाती है ।

प्रतिवादी 1 और 2 बैंको को निम्नलिखित शर्तो के अधीन वादी और तीसरे उत्तरदाता /प्रतिवादी के मध्य सौहार्दपूर्ण या विवेकपूर्ण तरीके से मुकदमें के निपटान तक तीसरे प्रतिवादी को निर्धारित राशि का भुगतान करने से रोका जाता है।

1 वादी प्रतिवादी सं.1और 2 के माध्यम से निष्पादित बैंक प्रतिभूति को मुकदमें के निपटारे तक हर छ महीने केलिए तीसरे प्रतिवादी के पक्ष में बढाएगा। प्रतिभूति सं.5 /2010-11 के तहत अवधि की समाप्ति के पश्चात 10.02.2011 से 09.02.2011 की अवधि से

2 यदि वादी इस मुकदमें में विफल रहता है तो वादी प्रतिवादी सं.3 को मुकदमें की तिथि से मुकदमें के निपटारे तक माल के कुल मूल्य पर

18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देकर मुआवजा देगा। लागत पर कोई आदेश जारी नहीं होगा।

6. 13.09.2011 को अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश मैसूर द्वारा वहा उठाई गई एक चुनौती पर उपरोक्त आदेश की पुष्टि की गई । यहा तक की कर्नाटक उच्च न्यायालय में जहा अपीलकर्ता में 2012 में रिटयाचिका सं. 4654 को प्राथमिकता दी थी में भी अन्तरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया। 16.23.2013 को उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त उल्लेखित रिट याचिका को खारिज करने का पारित आदेश इस न्यायालय के समक्ष , अपीलकर्ता के समक्ष चुनौती का विषय है।

7. कानून के प्रस्ताव के अनुसार अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर अत्यधिक विश्वास किया है हम उनमें से केवल दो का उल्लेख करेंगें जो उदेश्य के लिए पर्याप्त होंगे। इस संबंध में सर्वप्रथम यू.पी.कापरेटिव फेडरेशन लिमिटेड विरूद्ध सिहं कंसंल्टेन्टस एण्ड इंजीनियर्स प्रा, लिमिटेड (1988)1 एससीसी 174 का संदर्भ लिया जा सकता है जहां से हमारा ध्यान निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया थाः

27.हमारा ध्यान अरूल मुरूगन टैडर्स विरूद्ध राष्ट्रीय केमिककल्स एण्ड फर्टिलाइजर लिमिटेड बाम्बे और अन्य ए.आई. आर. 1986 मद्रास न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की ओर भी आकर्षित

किया गया था, जहा विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय व्यक्त की थी कि बैंक प्रतिभूति से संबंधित अंतरिम निषेधाज्ञा देने पर रोक लगाने वाला कोई पूर्ण नियम नहीं था और असाधारण मामले में न्यायालय बैंको द्वारा कोई पूर्ण नियम नहीं था और असाधारण मामले में न्यायालय बैंको द्वारा ग्रहण किए गए अपरिवर्तनीय दायित्वों की मशीनरी में हस्तक्षेप करेगी और वादी को प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करना होगा जिसका अर्थ यह है कि यह एक प्रमाणिक मामला है इसके अलावा सुविधा का संतुलन भी एक प्रासंगिक कारक था । यदि धोखाधडी का तत्व मौजूद है तो न्यायालय अनुबन्ध के किसी एक पक्ष का बैंक प्रतिभूति को लागू करके अन्यायपूर्ण संवर्धन प्राप्त करने से रोकने के लिए कदम उठाती है उस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुचें कि मुकदमें में गम्भीर प्रश्न शामिल थे और विशेष रूप से धोखाधडी की दलील से संबंधित थे, जो कि ध्यान में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक था और बैंक प्रतिभूति के प्रवर्तन पर रोक लगाने के दावे की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

28. हालांकि मेरी राय है कि जो इन टिप्पणियों को प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में सख्ती से विचार किया जाना चाहिए। यह निर्णय नही है कि प्रथम दृष्टया मामला होना ही चाहिए। या तो अपरिवर्तनीय साख पत्र के परिचालन पर रोक लगाने के लिए या पुष्टिकृत साख पत्र या बैंक प्रतिभूति का गम्भीर विवाद होना चाहिए और पक्षकारों के मध्य धोखाधडी

के रूप् में हुए अपूरणीय अन्याय को रोकने और विशेष रूप् से साम्यता का अच्छा प्रथम दृष्टया मामला होना चाहिए अन्यथा बैंक प्रतिभूति का उदेश्य ही नकारात्मक हो जाएगा और व्यापार संचालन का ताना बाना खतरे में पड जाएगा।

43. प्रतिवादी का तर्क आकर्षक है लेकिन यह मामले की मूल प्रकृति की अनदेखी करता प्रतीत होता है मामले की मूल प्रकृति यूपी सीओ एफ लिमिटेड को दी गई प्रतिभूतियों के तहत् बैंक द्वारा ग्रहण किये गये दायित्व द्वारा से संबधित है यदि कानून के तहत् बैंक को एससीई प्रा.लिमिटेड द्वारा साख प्रतिभूति का सम्मान करने से नहीं रोका जा सकता है तो यूपीसीओएफ लिमिटेड को भी नहीं रोका जा सकता है। जो बात बैंक पर लागू होती है वह यूपीसीओएफ लिमिटेड पर भी समान रूप् से लागू होनी चाहिए । इसलिए बैंक को पक्षकार न बनाकर मुकदमें की रूपरेखा से कानून की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड सकता ।

समान रूप से यह तर्क देना निरर्थक होगा कि न्यायालयों द्वारा निषेधाज्ञा देना उचित था क्योंकि उसने प्रथम दृष्टया मामला एससीई प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पाया है। प्रथम दृष्टया मामले की जांच करने या सुविधा के संतुलन का सवाल ही नही उठता अगर न्यायालय बैंक द्वारा प्रश्नगत प्रतिभूतियों में की गई बिना शर्त प्रतिबद्धता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

54. हालांकि न्यायालय को अपरिवर्तनीय साख दस्तावेजों के संचालन में सहजता से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मै अपने विद्वान भाई से सहमत हूँ कि अपरिवर्तनीय साख पत्र, प्रदर्शन बन्ध पत्र या प्रतिभूति के संचालन पर रोक लगाने के लिए विवाद की सुनवाई गम्भीरता से होनी चाहिए और प्रथम दृष्टया धोखाधडी का अच्छा कृत्य होना चाहिए। जैसा कि सर जान डोनाल्डसन एम.आर ने बोलिविंटर आयल एसए विरूद्ध चेस मैनहट्टन बैंक और अन्य **(1984) 1** आल.ई.आर.**351,352** पर के मामले मे कहा था पूरी तरह से असाधारण मामला जहा निषेधाज्ञा भी जारी की जा सकती है जहा यह साबित हो जाता है कि बैंक जानता है कि पहले से की गई भुगतान की कोई भी मांग या उसके बाद की जाने वाली कोई भी मांग स्पष्ट रूप् से धोखाधडी होगी। लेकिन धोखाधडी के सम्बन्ध में और बैंक की जानकारी के अनुसार दोनों तथ्यों की साक्ष्य स्पष्ट होनी चाहिए। सामान्यतः यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा कि यह ग्राहक के अपुष्ट कथन पर आधारित हो क्योंकि इस तरह की निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपेक्षाकृत कम समय में ही बैंक की साख को अपूरणीय क्षति हो सकती है और इसे खारिज करने के लिए बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था।

55 उपरोक्त विचार विमर्श से मुझें जो प्रतीत होता है वह इस प्रकार हैः हालांकि मजबूत बैंकिग प्रणाली को अपरिवर्तनीय दस्तावेजी साख जारी करने में अधिक सावधानी की आवश्कता हो सकती है यह बैंक के लिए

होगा कि वह अन्य तरीक से खुद को सुरक्षित रखें आमतौर पर यह न्यायालय के लिए नहीं होगा कि वह निषेधाज्ञा के साथ उनके बचाव में आए जब तक कि कोई धोखाधडी स्थापित न हो जाए । परिणामस्वरूप, इस अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए । इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय एवं आदेश दिनांक फरवरी 20,1987 को अप्रास्त किया जाना चाहिए और विद्वान दीवानी न्यायाधीश लखनउ के आदेश दिनांक 8 अगस्त 1986 को बहाल किया जाना चाहिए।

(हमारा ओजपूर्ण कथन है)

(हमारी अवधारणा है)

8 विनिटेक इलैक्ट्रानिक प्राइवेट लिमिटेड विरूद्ध एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड(2008)1 एससीसी 544 पर भी विश्वास जताया गया था उपरोक्त निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणिया दर्ज की गई हैः

11 बैंक प्रतिभूतियों को लागू करने से संबंधित कानून अब तक इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृखला द्वारा अच्छी तरह तय हो चुका है बैंक जो प्रतिभूतिया प्रदान करती है वे प्रतिभूतिकर्ता द्वारा मांग पर देय होती है उन्हें बिना शर्त बैंक प्रतिभूति प्रदान की गई है या स्वीकार कर ली गई है तो लाभार्थी किसी भी लंबित विवाद के बावजूद उसके संदर्भ में ऐसी बैंक प्रतिभूति को वसूल करने का अधिकारी है।

इस न्यायालय ने उत्तरप्रदेश राज्य चिनी निगम बनाम सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड के मामले मे कहा कि:

12 ऐसी बैंक प्रतिभूतियों को लागू करने से संबधित कानून अब तक अच्छी तरह तय हो चुका है जब वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान बिना शर्त बैंक प्रतिभूति प्रदान की जाती है तो लाभार्थी किसी भी लम्बित विवाद के बावजूद भी ऐसी बैंक प्रतिभूति को वसूल करने का अधिकारी होता है ऐसी प्रतिभूति प्रदान करने वाला बैंक अपने ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद अपनी शर्तो के अनुसार इसका सम्मान करने के लिए बाध्य होता है अन्यथा ऐसी बैंक प्रतिभूति का उदेश्य ही विफल हो जाएगा । इसलिए न्यायालयों को ऐसी बैंक प्रतिभूतियों की प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की धीमा होना चाहिए। न्यायालायों ने केवल दो अपवाद बनाये हैं पहला ऐसी बैंक प्रतिभूति के सम्बन्ध में कोई धोखाधडी ऐसी बैंक प्रतिभूति की नींव को ही खराब कर देगी इसलिए यदि कोई ऐसी धोखाधडी है जिसका लाभार्थी लाभ उठाना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है दूसरा अपवाद उन मामलों से संबंधित है जहा बिना शर्त बैंक प्रतिभूति के नकदीकरण की अनुमति देने से संबधित पक्षों में से किसी एक को अपूरणीय क्षति या अन्याय होगा चूंकि ज्यादातर मामलों में ऐसी बैंक प्रतिभूति के तहत नकदी का भुगतान बैंक और उसके ग्राहक जिसके कहने पर प्रतिभूति दी गई है पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा इस शीर्षक के

तहत विचार किया गया नुकसान या अन्याय ऐसी असाधारण और अपरिवर्तनीय प्रकृति का होना चाहिए जो प्रतिभूति की शर्तो और देश में वाणिज्यिक लेन देन पर इस तरह के निषेधाज्ञा के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त कर देता है। दोनों आधार आवश्यक रूप से जुडे हुए नहीं है हालांकि कुछ मामलों में दोनों एक साथ मौजूद हो सकते है

12 यह विधि में भी समान रूप से स्थापित है कि बैंक प्रतिभूति बैंक और उसके लाभार्थी के मध्य एक स्वतंत्र अनुबन्ध है बैंक हमेशा अपनी प्रतिभूति का सम्मान करने के लिए बाध्य है जब तक कि बिना शर्त और अपरिवर्तनीय है लाभार्थी और उस पक्ष के बीच विवाद जिसके कहने पर बैंक प्रतिभूति दी गई है सारहीन है और इसका कोई महत्व नहीं है बीएसईएस लिमिटेड विरूद्ध फेनर इण्डिया लिमिटेड मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है।

10 हालांकि इस नियम के दो अपवाद है पहला तब होता है जब कोई स्पष्ट धोखाधडी होती है जिसका बैंक को संज्ञान हो जाता है और यह उस लाभार्थी की धोखाधडी होती है जिसको यह लाभ पहुचना चाहता है धोखाधडी गम्भीर प्रकृति की होनी चाहिए जिससे संपूर्ण अंतर्निहित लेन देन खराब हो जाए। गैर हस्तक्षेप का दूसरा अपवाद तब होता है जब निषेधाज्ञा के पक्ष में विशेष समानताए होती है जैसे कि जब अपूरणीय क्षति होगी या अपरिवर्तनीय अन्याय होगा यदि ऐसी निषेधाज्ञा नही दी जाती है तो इस

न्यायालय के कई निर्णयों में सामान्य नियम और उसके अपवादों को दोहराया गया है उत्तरप्रदेश राज्य चीनी निगम विरूद्ध सुमैक इंटरनेशनल लिमिटेड **(1997)** सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण **568 (**इसके पश्चात उत्तरप्रदेश राज्य चीनी निगम**)** मामले में इस न्यायालय ने उचित रूप से उदघोषित किया और विधि स्थापित की।

13. हिमाद्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरूद्ध कोल तार रिफाइनिंग कम्पनी के मामले में इस न्यायालय ने बैंक प्रतिभूति या साख पत्र के प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने से इन्कार करने के लिए और बैंक प्रतिभूति या साख पत्र को लागू करने का सारांश निम्नलिखित तरीकों से दिया हैं:

14. वाणिज्यिक लेनदेन के दौरान निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय और जब बिना शर्त बैंक प्रतिभूति या साखपत्र दिया या स्वीकार किया जाता है तो लाभार्थी ऐसी बैंक प्रतिभूति या साख पत्र को विवाद के बावजूद प्राप्त करने का अधिकारी होता है ।ऐसी प्रतिभूति देने वाला बैंक अपने ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी विवाद के बावजूद अपनी शर्तो के अनुसार इसका सम्मान करने के लिए बाध्य है। न्यायालयों को बैंक प्रतिभूति या साख पत्र की प्राप्ति पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा देने में धीमी गति से काम करना चाहिए

चूंकि बैंक प्रतिभूति या साखपत्र एक स्वतंत्र और एक अलग अनुबन्ध है और इसकी प्रकृति में पूर्ण होता है अनुबन्धों के पक्षों के मध्य किसी भी विवाद का अस्तित्व बैंक प्रतिभूति या साखपत्र के प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने का आधार नहीं है।

गम्भीर प्रकृति की धोखाधडी जो ऐसे बैंक प्रतिभूति या साख पत्र की नींव को ही खराब कर देती है और लाभार्थी इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता है।

बिना शर्त बैंक प्रतिभूति या साख पत्र को भुनाने की अनुमति देने से संबंधित पक्षों में से एक को अपूरणीय क्षति या अन्याय होगा

14 महात्मा गांधी सहकारा सकारे कारखाना विरूद्ध नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड मामले में इस न्यायालय ने अवलोकन किया की यदि दी गई बैंक प्रतिभूति बिना शर्त और अपरिवर्तनीय है तो प्रतिभूति के तहत राशि का भुगतान करने के लिए बैंक किसी भी तरह की आपत्ति उठाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जिस व्यक्ति के पक्ष में बैंक द्वारा प्रतिभूति दी गई है उसे इस बहाने से प्रतिभूति लागू करने से निषेधाज्ञा के माध्यम से नहीं रोका जा सकता है पक्षकारों के मध्य किये गए समझौते की शर्तो में बैंक प्रतिभूति लागू करने की शर्त पूरी नही हुई है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली अस्वीकार्य है। विक्रेता किसी भी प्रकृति का विवाद नहीं उठा सकता है और धोखाधडी और अपूरणीय क्षति के आधार पर खरीददार को

निषेधाज्ञा के माध्यम से बैंक प्रतिभूति लागू करने से नहीं रोका जा सकता है। जो प्रासंगिक है वह बैंक द्वारा निष्पादित प्रतिभूति में शामिल शर्त है वर्तमान मामले में प्रतिभूति के नियमों और शर्तो का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि प्रतिभूति बिना शर्त है इसलिए प्रतिवादी को किसी भी विवाद को उठाने और अपीलकर्ता को बैंक प्रतिभूति को भुनाने से रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केवल तथ्य यह है कि बैंक प्रत्याभूति विलेख की प्रस्तावना में किसी विशिष्ठ खण्ड का उल्लेख किए बिना मुख्य समझौते को संदर्भित करती है प्रत्याभूति बैंक के द्वारा की गई प्रत्याभूति को सशर्त नही बनाती है।

24. अगला प्रश्न जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या वर्तमान प्रकरण किसी या दोनों अपवादों में से एक अन्तर्गत आता है अर्थात क्या कोई स्पष्ट धोखाधडी है जिसका वह लाभ उठाना चाहता है और जो बैंक के संज्ञान में है और एक अन्य अपवाद है कि क्या निषेधाज्ञा देने के पक्ष में कोई विशेष न्यायिक साम्यता है।

25 इस न्यायालय ने एक से अधिक निर्णयों में यह विचार रखा कि धोखाधडी यदि कोई हो तो, अन्तर्निहित लेनदेन को खराब करने वाली गम्भीर प्रकृति की होनी चाहिए। हमने वर्तमान मामले में तर्को का सावधानीपूर्वक जाच की है जिसमें धोखाधडी के समर्थन में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया है किसी भी धोखाधडी का कोई उचित आरोप भी

नही है और वास्तव में अपीलकर्ता का पूरा मामला प्रतिवादी द्वारा अनुबन्ध के कथित उल्लंघन के आसपास केन्द्रित है अपीलकर्ता के स्वयं के शब्दों में धोखाधडी के तर्क निम्नलिखित प्रभाव डालते हैः

प्रतिवादी एचसीएल द्वारा घोर बेइमानी और धोखाधडी के अपराध में बैंक प्रत्याभूति में निर्धारित भुगतान न करने के बावजूद प्रतिवादी एससीएल ने आवेदक द्वारा दी गई बैंक प्रत्याभूति को धोखाधडी से भुनाया और इसके तहत रकम भेजने की मांग ओरियंटल बैंक आफ कामर्स से सशर्त प्रत्याभूति की मांग पत्र के माध्यम से भी।

26. हमारी सुवाचारित राय में लगाए गए इस तरह के अस्पष्ट और अनिश्चित आरोप किसी भी धोखाधडी की आवश्यकता को पूरा नहीं करते है पूरे लेनदेन को खराब करने वाली गम्भीर प्रकृति की धोखाधडी तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए यह मामला पहले अपवाद में नहीं आता है।

27. क्या बैंक प्रत्याभूति भुनाने से कोई अपूरणीय क्षति होगी या अपूरणीय अन्याय होगा इसके पक्ष में अपीलकर्ता द्वारा किसी विशेष साम्यता की दलील नहीं दी गई है। जहा तक अपूरणीय अन्याय की दलील का सवाल है अपीलकर्ता ने अपनी याचिका में केवल यही कहा है कि: अगर प्रतिवादी अपनी बुरी योजना को लागू करने में सफल हो जाता है तो यह न केवल धोखाधडी की श्रेणी में आएगा आवेदक के साथ अपूरणीय अन्याय होगा और मध्यस्था को निरर्थक और निष्फल बना देगा, प्रतिवादी को

अत्यधिक पूर्वाग्रह पर और आवेदक की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देगा।

(हमारी अवधारणा)

9 इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर, विशेष रूप से यहा उपर उल्लेखित निर्णयों के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का जोरदार तर्क था कि प्रत्याभूति के विलेख के नियमों और शर्तो को रद्द नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का निर्धारण करने में अपनाये गये सिद्धान्त के आधार पर प्रभाव दिया गया जो सामान्य पैरामीटर है जिनके आधार पर निषेधाज्ञा दी जाती है। जहाॅ तक बिना शर्त बैंक प्रतिभूति के निषेधाज्ञा का संबंध है यह प्रस्तुत किया गया था कि ये केवल तभी दिया जा सकता है जब अदालत एक या अन्य अनुबंध पक्षों के द्वारा या वैकल्पिक रूप् से गंभीर धोखाधडी के कृत्य के बारे में संतुष्ट हो या वैकल्पिक तौर पर न्यायालय संतुष्ट हो कि अनुबंध करने वाले एक या दूसरे पक्षों के हाथों संबधित पक्ष को अपूरणीय क्षति या कुछ अपूरणीय अन्याय हुआ हो ।

10 जहा तक मौजूदा विवाद का संबंध है प्रतिवादी सं.01 का बचाव पूरी तरह से दिनांक 14.01.2011 के एक पत्र व्यवहार पर आधारित है जिनमे अपीलकर्ता ने प्रतिवादी सं.01 को संबोधित किया गया था कि

उपरोक्त पत्र व्यवहार प्रतिवादी संख्या 01 के बचाव का आधार बनता है जिसमें कहा गया जो यहा दिया जा रहा है:

अडानी एग्रीफेश लिमिटेड

14 जनवरी 2011

सेवा में

श्री महबूब शरीफ

मैसर्स आर.एम .एस फ्रूटस एण्ड कंपनी

1875, अनेसारूई स्ट्रीट

देवराजा मार्केट के पीछे

मैसूर 50001

विषय: राशि की अदायगी

महोदय,

हम आपको सूचित करते है कि आपको आपूर्ति किये गये सेब के आठ लोड के नष्ट होने और क्षति के संबंध में मैसूर में हमारी समझौता वार्ता में चार फर्म कुल मूल्य का 1/4 वा मूल्य प्राप्त करने के लिए सहमत हुई इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि आप पहले की तरह सेब लोड की आपूर्ति करने के पश्चात सहमति के अनुसार किश्तों में राशि भेजें।

उपरोक्त पत्र व्यवहार 14.01.2011 पर विश्वास करने के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता का जोरदार तर्क था कि प्रतिवादी संख्या 01 मैसर्स आर एम एस एम सी ने सडे हुए और क्षतिग्रस्त सेवा को दर्शाते तस्वीरें संलग्न की थी जो कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को भेजे गये थे , प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क था कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त तस्वीरों की सत्यता पर विवाद नही किया जा सकता था।

11 प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा उठाए गए बचाव की सत्यता या सत्यता का निर्धारण करना हमारे लिए संभव नहीं है। उपरोक्त बातें दीवानी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की समाप्ति पर ही सामने आएगी। वर्तमान समय में हम केवल उल्लेखित तीन बैंक प्रत्याभूतियों के बारे में जारी निषेधाज्ञा के लिए चिंतित है जिसको भुनाने पर विचारण न्यायालय द्वारा ही नहीं बल्कि अपीलीय न्यायालय द्वारा भी निषेधाज्ञा लगायी गई थी उसके बाद उच्च न्यायालय द्वारा भी इसे बरकरार रखा गया था।

12 सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं.01 द्वारा अपने बचाव में जिस पत्र व्यवहार दिनांक 14.01.2011 पर विश्वास किया गया था वह मनगढंत और छेडछाड

किया गया दस्तावेज है जिसे अपीलकर्ता ने कभी निष्पादित नहीं किया था प्रतिद्वन्द्वीयों द्वारा अपनाई गई स्थिति हमें निम्नलिखित निष्कर्ष पर ले जाती है पहली संबंधित बैंक की प्रत्याभूतिया स्पष्ट रूप से बिना शर्त हो या उपर प्रस्तुत उसके उदाहरणों से स्पष्ट है दूसरे दिनांक **14.01.2011** के पत्र व्यवहार के आधार प्रतिवादी संख्या **01** मैसर्स आरएमएसएफसी के बचाव की सत्यता और सत्यपूर्णता पर वर्तमान समय में राय नहीं दी जा सकती है और इसके लिए मैसर्स आरएमएसएफसी द्वारा दायर दीवानी मुकदमें के अन्तिम परिणाम का इंतजार करना होगा। तीसरा मैसर्स आरएमएसएफसी ने स्टेट बैंक आॅफ मैसूर द्वारा निष्पादित बैंक प्रत्याभूतियों को भुनाने की व्यवहारिकता के लिए मैसर्स एएएफएल द्वारा किसी गम्भीर धोखाधडी के कृत्य का कोई आरोप नहीं लगाया है । चैथा मैसर्स आरएमएसएफसी की ओर से यह स्थापित करने के लिए कोई प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है कि बैंक प्रत्याभूति को भुनाने से अपूरणीय क्षति होगी या कुछ अपूरणीय अन्याय होगा इसलिए तात्कालिक घटना से इन्कार किया जाता है ।

13 इसलिए वर्तमान विवाद पर निर्णय लेने हेतू हमें इस न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश कापरेटिव फेडरेशन लिमिटेड विरूद्ध सिहं कन्सलटेन्ट और इंजिनियर्स प्रा लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय और विनिटेक इलैक्ट्रानिक्स प्रा.लिमिटेड विरूद्ध एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित सिद्धान्तों को अपनाना होगा। बिना शर्त बैंक प्रत्या पर निषेधाज्ञा

को जारी करने / अस्वीकार करने के संबंध में शर्ता और विशेष रूप से उपर संविदात्मक नियमों और शर्तो को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार विर्मश करने के बाद हम इस बात से संतुष्ट है कि मैसर्स आरएमएसएफसी के कहने पर स्टेट बैंक आफ मैसूर द्वारा निष्पादित तीन बैंक प्रत्याभूतियों को लागू करने पर रोक लगाना नीचे के न्यायालयों के लिए उचित नहीं था। तदनुसार हम प्रतिवादी संख्या 2 और 3 स्टेट बैंक आफ मैसूर को इसका तुरन्त सम्मान करने का निर्देश देते है।

14 अपीलकर्ता द्वारा उठायें गये दावे को स्वीकार करते समय जैसा कि हमने यहा अपने निष्कर्षों में अंकित किया है हमारे लिए यहा भी अंकित करना आवश्यक हो जाता है कि हमने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अधिवक्ता को अपीलकर्ता से निर्देश प्राप्त करने की मांग की थी चाहे अपीलकर्ता दिनांक 14.01.2011 के पत्र व्यवहार को मनगढंत और छेडछाड वाला बताने में सच्चा था या नहीं । यदि अपीलकर्ता ने इसे वास्तविकता मान लिया होता तो हम दिनांक 14.01.2011 के पत्र व्यवहार के अनुरूप माल के कुछ मूल्य के 1/4 की प्रतिपूर्ति के लिए बैंक गांरटी की अनुमति देते । अपीलकर्ता से निर्देश प्राप्त करने के पश्चात अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता का स्पष्ट और विशिष्ट रूख यह है कि दिनांक 14.01.2011 का पत्र व्यवहार (उपर दिये उदाहरण से)वास्तव में

मनगढंत और छेडछाड किया गया हुआ है और अपीलकर्ता द्वारा कभी भी भेजा या निष्पादित नहीं किया जा गया था । मैसर्स एएएफएल प्रतिवादी संख्या 01 मैसर्स आर एम एस एफ सी मं स्पष्ट निर्देशों पर अपीलकर्ता द्वारा अपनायी गयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम इसे आगे अंकित करना उचित मानते है कि यदि अपीलकर्ता की ओर से इस न्यायालय में दिया गया बयान सही नहीं पाया जाता है तो प्रतिवादी सं.01 द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की समाप्ति पर यदि प्रतिवादी संख्या 01 मैसर्स आर एम एस एफ सी अपीलकर्ता के खिलाफ नागरिक और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा जैसा कि विधि के अनुसार स्वीकार्य हो सकता है।

15 हम प्रतिवादी सं.01 मैसर्स आर एम एस एफ सी को वाद पत्र में उचित रूप से संसोधन करने की छूट देकर संतुष्ट है ताकि प्रतिवादी संख्या 01 के दावा करने का जो भी कारण हो उसकी राहत को संविदात्मक दायित्व के तहत और कानून के अनुरूप ढाला जा सके ।

16 उपरोक्त शर्तो के अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है।

अपील निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अधिवक्ता शिव बहादुर सिंह द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।